Regd. No. S.P.B. 128.	Regd. No. R. 1230

# राजस्थान राज-पत्र

प्रथम भाग

# Rajasthan Gazette

PART I

[ अधिकार प्रकाशित ]	[ Published by Authority

| भाग १ संख्या १७३ | फाल्गुन शुक्ल १४, शनिवार, सम्वत् २००६ विक्रमी | मार्च ४, १९५० |
| --- | --- | --- |
| Vol. I, No. 173 | Falgun Shukla 14, Saturday, 2006 | March 4, 1950 |

पृथक संग्रहीकरण की सुविधा की दृष्टि से रखकर प्रत्येक भाग में पृष्ठ संख्या अलग२ दी गई है।

विषय-सूचि


| | पृष्ठ | | पृष्ठ |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथम भाग—सरकारी आज्ञायें, नियुक्ति, स्थान नियुक्ति, अवकरण और स्था. नान्तर आदि से सम्बन्धित विज्ञप्तियां | २३६–२४४ | भूमि-प्राप्ति की सूचनायें, विक्रय विज्ञप्तिकरण, टेण्डर पेस, आंकड़ों सम्बन्धी सूचनायें, आदि | ४४७–४६२ |
| द्वितीय भाग—प्रबन्धक कार्यालयों, प्रधान न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों व अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, साधिकार ठिकानों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां, पब्लिक सर्विस कमीशन की सूचनायें, | | तृतीय भाग—बिल—बिलों, आलेखों या नियमों आदि पर विशिष्ट समितियों की रिपोर्टें | .. |
| | | चतुर्थ भाग—विधान, आर्डिनेन्स, नियम व उपबन्ध-नियम व अपने अन्तिम रूप में उनके अन्तर्गत उप-नियम व आज्ञायें | ४७१–४८० |


## राजस्थान सरकार

### राजस्व विभाग

#### विज्ञप्तियां

जयपुर, फरवरी १७, १९५०

संख्या एफ-१ (१२०) फॉरेस्ट/४८.—हर खास व आम को जरिये हाजा इत्तिला दी जाती है कि मारवाड़ के परगनेजात पाली, बगूरी, सोजत, देसूरी, तहसील मेन्दड़ा (पहाड़ आडावाला) परबतसर (पहाड़ बमी, बवाल से खटियास, मंडो-वरी तक नदी और बीदीयाद वगैरह) सीवाणा (पहाड़ छप्पन सैला, कुण्डल वगैरह) जालोर (पहाड़ सोजा, किलावाला, पचपाना वगैरह) और जसवन्तपुरा (पहाड़ सुंदा, डोरडा वगैरह) और जोधपुर (पहाड़ मानोगा, मानणा, मोतीसरा, बालसमन्द, देवकुण्ड, मण्डोर, और आसपास की बावड़ी, सीतर सागरवाली वगैरह) में तमाम जंगलात बमूजिब कवायद इन्तजाम जंगलात सावका में महफूज किया जाकर उनकी चौहद्दी पर निशान पहुंचे (जो इस वक्त भी मौजूद हैं) और जो उस जगह इन्तजाम महकमा जंगलात के ... और इन मुतजिकरे पहाड़ों की जमीन को रक्षा हुआ जंगल करार दिया जाकर शायका में इश्तिहार भी जारी किया जाचुका है। फिर उसी सिलसिले में मारवाड़ फारेस्ट एक्ट, १९३४, की दफा ४ व ६ के तहत इश्तिहार ताजा जारी किया जाकर सबको आगाही की जाती है कि इन जंगलों से (जिनकी कि हदूद सरसरी तौर से नीचे बतलाई गई है और जिनकी तफसील हदूद महकमे जंगलात में Topographical नक्शे बने हुए मौजूद हैं जिनमें देखी जा सकती है) पैदावार जंगल बगैर तहरीरी इजाजत महकमे जंगलात से हासिल किये कोई शख्स काटेगा, नुकसान पहुंचायेगा, दस्तंदाजी करेगा, निकास करेगा, या चराई मवेशी करेगा और कोई किस्म का नुकसान करेगा या दूसरे से करावेगा। ऐसी नाजायज तौर पर काटी हुई, दस्तंदाजी की हुई या निकास की हुई पैदावार खरीदेगा या बेचेगा या किसी किस्म का व्यापार करेगा वह मुताबिक दफा २६ फोरेस्ट एक्ट ... करेगा जो कि ... जंगलात, ... सन् १९३४, मुताबिक ... होगा।
... ...

परगना पाली से अलग, तहसील सोजत तक (सोजावाला की हद)--सीमाना हदी नीरी से लगाकर सूमेल बाबरा तक जो पहाड़ आड़ावाला Aravali hills की शाखा Range गई है और जिसके पूर्व में उदयपुर व अजमेर की सरहद व दक्षिण में सिरोही की सरहद व पूर्व में मारवाड़ का गांव आसलियावास व लूणी नदी निकलती है और पश्चिम में मारवाड़ के गांव नाणा बहड़ा, बीजापुर, सेवाड़ी, लाटाड़ा, बाटड़ी, नाणा, पट्टा के गांव देगुरी, नाणोल, कोट जो नवर कुम्हार, सारण, कटालिया, बड़ागुड़ा, बीजाजी का गुड़ा, खोडिया, कालब, पचानपुरा, दीपावास, काणजा, बरबराटिया, गिरी, बांबरा और सूमेल वगैरह २ हैं जिनकी कुछ जमीन भी उसी रखत जंगल में शामिल है।

तहसील सेन्दड़ा Retroceded Area के पहाड़ की हदें:--ब्लोक कोट किराना, बगड़ी, सीरमण, जोवाड़, नाग जिसके पूर्व में अजमेर की सरहद व उत्तर व दक्षिण में अजमेर व पश्चिम में मारवाड़ के जंगल खोड़िया, कालब, काणेजा वगैरा वगैरा की सरहद लगती है।

परगना परबतसर--१. बसी से मंडोवरी तक एक पहाड़ (बसी से मंडोवरी तक) की शाखा जो चली गई है जिसके उत्तर-पूर्व में किशनगढ़ व पूर्व व दक्षिण में अजमेर व पश्चिम में मारवाड़ के गांव बसी, बड़ोल, मायापुर, भारणास, खुंदियागर, मंडोवरी वगैरह हैं जिनकी कुछ जमीन भी उस रखत जंगल में शामिल है।

२. ब्लाक [illegible]--जिसके उत्तर में [illegible] पूर्व में [illegible], दक्षिण में [illegible] की सरहद लगती है।

३. ब्लाक [illegible]--जिसके पूर्व में अजमेर मेरवाड़ा की सरहद लगती है।

परगना [illegible]--१. पहाड़ [illegible] की एक शाखा [illegible]

मारवाड़ के गांव [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] के गांव की सीमा और दक्षिण में [illegible], [illegible], [illegible] और पूर्व में [illegible] की जोधपुर रेल्वे लाइन है और पश्चिम में [illegible] गांव की सीमा लगती है।

२. पहाड़ (गेला कुण्डल) की एक दूसरी शाखा इस परगने में जो जसपुर गेला से होती हुई कुण्डल की तरफ गई है और जिसके उत्तर में जसपुर, गेला, कुण्डल के गांव की सीमा व दक्षिण में [illegible], [illegible] की सीमा और पश्चिम में [illegible] और पूर्व में [illegible] गांव की सरहद लगती है।

परगना जालोर--१. एक पहाड़ (रोजा, [illegible]वाला) की शाखा इस परगने में जालोर से पहाड़ को गई है जिसके उत्तर में पहाड़पुरा, दक्षिण में [illegible], पूर्व में जालोर और पश्चिम में कोलर, [illegible], बीजोपुरा के गांव की सीमा लगती है।

२. पहाड़ (एसराना) की एक और शाखा इस परगने में गांव जगन्नाथजी मेडा, पांडगवा, राजनवाड़ी व धांवला के बीच में आई हुई है।

परगना जसवन्तपुरा--पहाड़ (दोरड़ा) की एक शाखा गांव दोरड़ा व राजीकावास के बीच में आई हुई है जो पहाड़पुरा से गोलाणा को गई है जिसके उत्तर में बावली पश्चिम में पहाड़पुरा, राजीकावास व दक्षिण में चेकला व पूर्व में गोलाणा, दोरड़ा की सरहद है।

पहाड़ सूंधामाताजी की एक और शाखा इस परगने में गांव राजपुरा, दांतलावास से [illegible] तक गई है जिसके उत्तर में राजपुरा, दांतलावास, दक्षिण में [illegible] व पूर्व में जसवन्तपुरा, चेकला और पश्चिम में [illegible] के गांव की सरहद लगती है।

परगना जोधपुर--१. पहाड़ [illegible], २. पहाड़ [illegible], ३. पहाड़ [illegible], [illegible], ४. पहाड़ [illegible] ५. पहाड़ [illegible], ६. जोड़ [illegible] की [illegible]।